

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ राज. जयपुर

क्रमांक :- ई-18/एम/से.नि./एफ. 24857/2024/16

दिनांक : 05/01/2024

आदेश

निम्नलिखित कार्मिकों द्वारा राज्य सेवा में 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर उनके नाम के सम्मुख अंकितानुसार राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम व पद	पदस्थापन स्थान	जन्म तिथि	से.नि. तिथि
1.	श्री नन्दू सिंह परमार, वरिष्ठ सहायक	सामुदायिक स्वा० केन्द्र, पिलानी, झुन्झुनू।	23.02.1964	29.02.2024
2.	श्री महिपाल सिंह, वरिष्ठ सहायक	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सूरजगढ, झुन्झुनू।	12.02.1964	29.02.2024
3.	श्री नरपत लाल शर्मा, कनिष्ठ सहायक	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, देचू, फलौदी, जोधपुर।	01.04.1964	31.03.2024
4.	श्री शम्भुदयाल सोनी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, अलवर।	25.03.1964	31.03.2024
5	श्रीमती निर्मला कुमारी, प्रशासनिक अधिकारी	संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन- जोधपुर	01.04.1964	31.03.2024
6	श्री राजकुमार गुप्ता, वरिष्ठ सहायक	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, अलवर।	19.04.1964	30.04.2024
7	श्री सत्यवीर सोनी, अति० प्रशा० अधिकारी	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर।	01.05.1964	30.04.2024
8	श्री सुरेन्द्र सिंह, वरिष्ठ सहायक	अधीक्षक, महात्मा गांधी चिकित्सालय, जोधपुर।	05.04.1964	30.04.2024
9	श्रीमती मंजू अरोडा, कनिष्ठ सहायक	अधीक्षक, संक्रामक रोग संस्थान, कमला नेहरू वक्ष चिकि० जोधपुर।	20.04.1964	30.04.2024
10	श्री सतीश चन्द्र पारीक, सहा० प्रशा० अधिकारी	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीकर।	20.05.1964	31.05.2024
11	श्री किशन सिंह चौधरी, सहा० प्रशा० अधिकारी	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।	01.07.1964	30.06.2024
12	श्री सैयद अजीमुद्दीन, सहा० प्रशा० अधिकारी	अधीक्षक, महात्मा गांधी चिकित्सालय, जोधपुर।	12.08.1964	31.08.2024

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त कर्मचारियों के विरुद्ध :-

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जाँच विचाराधीन/लंबित नहीं है। ⁵²¹⁸⁵⁰⁰
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाहिया विचाराधीन/लंबित नहीं है।

(सुरेश नवल)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर
दिनांक : 05/01/2024

क्रमांक :- ई-18/एम/से.नि./एफ. 24857/2024/16

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-जयपुर।
3. अधीक्षक, महात्मा गांधी चिकित्सालय, जोधपुर/संकामक रोग संस्थान, कमला नेहरू वक्ष चिकि० जोधपुर/
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुन्झुनूं/जोधपुर/अलवर/सीकर।
5. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, अलवर।
6. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वा० केन्द्र, पिलानी, झुन्झुनूं/ देचू, फलौदी, जोधपुर।
7. प्रभारी, डीपीसी (अराजपत्रित) अनुभाग, मुख्यालय।
8. प्रभारी, सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
9. सम्बन्धित कार्मिको को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
10. आदेश/रक्षित पत्रावली।

उक्त कर्मचारियों के विरुद्ध यदि आडिट पेरा या अन्य कोई वसूली बकाया हो तो उसकी वसूली तत्काल कर निदेशालय को अवगत करावे।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

RajKaj Ref
5218500

Document certified by SURESH
NAWAL <add4ng@gmail.com>.
Digitally Signed by Suresh
Kumar Naval
Designation: Director
Date :05-01-2024 02:24:32